

(प्रारूप-"ब")

समक्ष: प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

GM 866011

हम श्री राम सजीवन वर्मा पुत्र स्व० जगन्नाथ प्रसाद वर्मा अध्यक्ष एवं श्रीमती अर्चना वर्मा पत्नी श्री सतीश कुमार वर्मा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव आर०एस०वी० एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट सफदरगंज, बाराबंकी शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

अ. आर०एस०वी० कॉलेज ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज, सफदरगंज, बाराबंकी (प्रस्तावित)

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है-

क्रम संख्या	पता	गाटा संख्या	भूमि का एकता	भूमि हेक्टर में।
1	2	3	4	5
1	सफदरगंज, बाराबंकी	718	0.150हे०	0.150हे०
2	सफदरगंज, बाराबंकी	717	0.1630हे०	0.1630हे०
3	सफदरगंज, बाराबंकी	720	0.4240हे०	0.4240हे०
4	सफदरगंज, बाराबंकी	707मी०	0.3210हे०	0.3210हे०

धारा-3 यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं को निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	गाटा संख्या	रकबा	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	आर०एस०वी० कॉलेज ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज,	1.058हे०	सफदरगंज, बाराबंकी	718/717/720/707मी०	0.150हे०/0.1630हे०/0.4240हे०/0.3210हे०	1.058हे०

धारा-4 यह कि उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण संस्थान के संचालन के प्रारम्भ के समय ही है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(1)

Component Sn  
Identified by Sn  
SWORN AND VERIFIED BEFORE

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

(2)


धारा-5 यह कि उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
1	कोई बदलाव नहीं।	-	-	-	-

धारा-6 यह कि भविष्य में यदि हगारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई नई भूमि क्रय की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा-7 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

  
ह.0. अधिकारी

  
ह.0. अधिकारी